

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर


मानाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा बनाम बाबूराम पुत्र गोरधनराम वगैराह  
 किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 43/20 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज   | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई        |
|-------------|--|--|
| 25.06.2020  | <p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंगन राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार निम्न वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व एवं मौका स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है जिससे रोका नहीं गया तो प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णाय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28.07.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम बालेसर सत्ता पटवार हल्का बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 378 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 379 रकबा 01.13 बीघा, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.18 बीघा एवं खसरा नम्बर 385 रकबा 01.06 बीघा भूमि में उभयपक्ष एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही भूमि का विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 28.07.2020 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/>बालेसर</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोरि (कोरोना वायरस) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लॉकडाउन के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पेशी के अन्तर्गत पत्रावली को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">01/9/20</p> | <p>नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई</p> |

28/7/20



फर्द अहकाम

| तारीख<br>हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज   | नं. व तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुकम की<br>तामिल में<br>जारी हुई |
|---------------|---|--|
| 11/2/25       | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओं पर पत्रावली का अवलोकन किया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रथम दृष्टतया मामला :- राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।</li> <li>2. सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।</li> <li>3. अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्ध करना है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह सिद्ध होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है।</li> </ol> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बालेसर सत्ता पटवार हल्का बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 378, 379, 380, 385 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>उपखण्ड अधिकारी,</b><br/> <b>बालेसर</b> </p> |  |